NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 13-08-2026

विषय सूची

पूर्ण सूर्यग्रहण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ढाँचे में सुधार

राज्यसभा द्वारा केरल का नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक पारित6

लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (संशोधन) विधेयक पारित

बढ़ती बकाया राशि की प्राप्ति बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ होती वित्तीय स्थिति को दर्शाती है

संक्षिप्त समाचार

कज़ाखस्तान ने क्लाउड सीडिंग का विकल्प अपनाया

BNSS के अंतर्गत पुलिस हिरासत के दायरे पर सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्टता

ग्लूबॉल

काली गर्दन वाली सारस (BNC)

हरित हाइड्रोजन

पूर्ण सूर्यग्रहण

संदर्भ

- हाल ही में एक **पूर्ण सूर्यग्रहण** हुआ, जिसने खगोलीय यांत्रिकी, पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली तथा सौर परिघटनाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।

सूर्यग्रहण के बारे में

- सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तथा चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे विश्व के कुछ भागों में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने से अवरुद्ध हो जाता है।

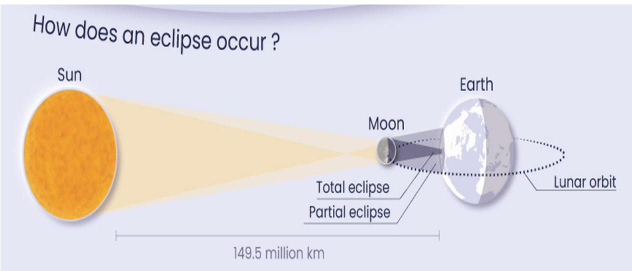

- सूर्यग्रहण को मुख्यतः तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - **पूर्ण सूर्यग्रहण (प्रच्छाया/उम्ब्रा):** चंद्रमा सूर्य के दृश्यमान चक्र को पूर्णतः ढक लेता है। पूर्णता के पथ पर स्थित क्षेत्रों में दिन के समय कुछ समय के लिए अंधकार का अनुभव होता है।
  - **आंशिक सूर्यग्रहण (उपच्छाया/पेनुम्ब्रा):** चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ढक लेता है, जिससे सूर्य का चक्र आंशिक रूप से ढका हुआ दिखाई देता है।
  - **वलयाकार सूर्यग्रहण (प्रतिछाया/एंटुम्ब्रा):** जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूर स्थित बिंदु के निकट होता है, तब उसका आभासी आकार सूर्य की तुलना में छोटा दिखाई देता है। परिणामस्वरूप सूर्य के चारों ओर प्रकाश का एक चमकीला वलय दिखाई देता है, जिसे सामान्यतः **'अग्नि वलय'** कहा जाता है।

Total, Partial and Annular Solar Eclipses

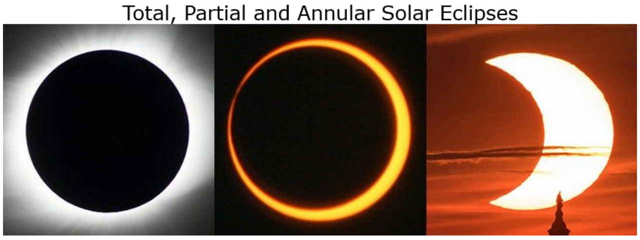

सूर्यग्रहण का महत्व एवं प्रासंगिकता

- **सौर कोरोना का अध्ययन:** पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के चमकीले दृश्यमान चक्र को ढक लेता है, जिससे सौर कोरोना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है।
  - यह सौर कोरोना की संरचना, तापमान, चुंबकीय क्षेत्रों तथा उसकी गतिशीलता का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। ये सभी कारक सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **सूर्य–पृथ्वी संबंधों की समझ:** सूर्यग्रहण के दौरान किसी क्षेत्र में आने वाले सौर विकिरण में अस्थायी कमी आती है।
  - वैज्ञानिक इस अवधि में वायुमंडलीय तापमान एवं पवनों, आयनमंडल, विकिरण एवं मौसम संबंधी मानकों तथा पृथ्वी के निकट स्थित अंतरिक्षीय पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर सकते हैं।
  - इस प्रकार के अवलोकन अंतरिक्ष-मौसम संबंधी प्रक्रियाओं तथा संचार और नौवहन प्रणालियों पर उनके संभावित प्रभावों को समझने में योगदान देते हैं।
- **वैज्ञानिक सिद्धांतों का सत्यापन:** सूर्यग्रहण ऐतिहासिक रूप से खगोलीय एवं भौतिक सिद्धांतों के परीक्षण के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए, **1919 के पूर्ण सूर्यग्रहण** के दौरान किए गए अवलोकनों ने आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के प्रकाश के विचलन की भविष्यवाणी का समर्थन किया था।
- **खगोलीय यांत्रिकी की समझ:** सूर्यग्रहण की घटना तथा उसकी सटीक भविष्यवाणी पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षीय गति की हमारी समझ को प्रदर्शित करती है।
  - सूर्यग्रहण के समय तथा उसके मार्ग की अत्यंत सटीक गणना की जा सकती है, जो खगोल विज्ञान एवं गणितीय मॉडलिंग में हुई प्रगति को दर्शाती है।
- **ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व:** विभिन्न सभ्यताओं, जिनमें भारत, चीन तथा मध्य-पूर्व की सभ्यताएँ शामिल हैं, के ऐतिहासिक अभिलेखों में सूर्यग्रहणों का उल्लेख मिलता है।
  - ऐसे अभिलेख शोधकर्ताओं को अतीत की खगोलीय परिस्थितियों के पुनर्निर्माण में सहायता कर सकते हैं और कुछ मामलों में पृथ्वी के घूर्णन में हुए परिवर्तनों के अध्ययन में भी उपयोगी हो सकते हैं।
- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं जन-जागरूकता:** सूर्यग्रहण एक ऐसे प्राकृतिक घटना की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, जिसे कभी-कभी अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। इसके माध्यम से खगोल विज्ञान के आधार पर इस घटना को समझाकर **वैज्ञानिक दृष्टिकोण** को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - सूर्यग्रहण खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा **STEM शिक्षा** के प्रति जनरुचि और जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्रोत: IE

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ढाँचे में सुधार

संदर्भ

- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026** का प्रारूप प्रस्तावित किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के **75% तक** तथा शहरी जनसंख्या के **50% तक** की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर यह संख्या **81.35 करोड़ व्यक्तियों** की है।
- इसका उद्देश्य **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)** के माध्यम से किफायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- पात्र परिवारों को निम्नलिखित आधार पर रियायती खाद्यान्न प्राप्त होता है:
  - **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार:** ये परिवार अत्यंत गरीब परिवारों में सबसे गरीब माने जाते हैं। AAY परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह **35 किलोग्राम खाद्यान्न** प्राप्त करने का अधिकार है।
  - **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH):** इन परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह **5 किलोग्राम खाद्यान्न** प्राप्त करने का अधिकार है।

लाभार्थी कौन हैं?

- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार:** केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इन परिवारों का चयन किया जाता है। इनमें अत्यंत गरीब परिवार शामिल होते हैं। पात्र श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:
  - ऐसे परिवार जिनका मुखिया विधवा, असाध्य रूप से बीमार, दिव्यांग या 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु का व्यक्ति हो तथा जिनके पास आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता उपलब्ध न हो।
  - ऐसी विधवाएँ, असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, एकल महिलाएँ या एकल पुरुष, जिनका कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक सहारा या आजीविका का सुनिश्चित साधन न हो।
  - सभी आदिम जनजातीय परिवार।
  - भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति तथा अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आजीविका अर्जित करने वाले लोग और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसी प्रकार की अन्य श्रेणियाँ।
  - HIV से संक्रमित व्यक्तियों के सभी पात्र गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार।
- **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH):** इन परिवारों का चयन राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा उनके अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

PMGKAY के साथ विलय

- वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)** शुरू की, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- जनवरी 2023 से सरकार ने PMGKAY का NFSA के साथ विलय कर दिया और NFSA के अंतर्गत मिलने वाला नियमित खाद्यान्न भी निःशुल्क कर दिया।
- नवंबर 2023 में इस निःशुल्क खाद्यान्न योजना को **पाँच वर्षों (जनवरी 2024 से दिसंबर 2028)** के लिए बढ़ा दिया गया।

NFSA में प्रस्तावित संशोधन

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की **धारा 3** में एक नया प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह **7 किलोग्राम खाद्यान्न** प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसकी अधिकतम सीमा **35 किलोग्राम प्रति परिवार** होगी।
- पहले प्रत्येक AAY परिवार को परिवार के सदस्यों की संख्या की परवाह किए बिना प्रति माह **35 किलोग्राम खाद्यान्न** मिलता था।
- AAY कार्डधारकों के लिए यह खाद्यान्न **निःशुल्क** होगा।
- **प्रस्ताव का तर्क:** इस प्रस्ताव का उद्देश्य खाद्यान्न के आवंटन को तर्कसंगत बनाना है। वर्तमान व्यवस्था में छोटे परिवारों को बड़े परिवारों की तुलना में प्रति व्यक्ति असमान रूप से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होता है। प्रस्तावित व्यवस्था इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करती है।

चिंताएँ

- **अपर्याप्त पोषण सुरक्षा:** संशोधन का ध्यान केवल अनाज पर केंद्रित है तथा इसमें दालों, खाद्य तेलों या अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं किया गया है।
- **अधिक मात्रा में खाद्यान्न की माँग:** खाद्य अधिकार से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से सबसे गरीब परिवारों के लिए 7 किलोग्राम के बजाय **14 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति** की माँग की है।

NEXT IAS हिन्दी

- **बड़े परिवारों को हानि:** संशोधन में प्रति परिवार **35 किलोग्राम की अधिकतम सीमा** बरकरार रखी गई है। परिणामस्वरूप, बड़े परिवारों को अपेक्षित प्रति व्यक्ति आवंटन की तुलना में कम खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** दक्षिणी राज्यों में छोटे परिवार अपेक्षाकृत अधिक सामान्य हैं। ऐसे परिवारों को वर्तमान व्यवस्था की तुलना में कम खाद्यान्न आवंटन प्राप्त हो सकता है।
- **पुराना कवरेज:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों का कवरेज अभी भी **2011 की जनगणना** पर आधारित है, जबकि इसके बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुमान है कि लाखों पात्र परिवार अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर हैं।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावित करने वाली परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं करता है।
    - बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में विफलता, ई-KYC से संबंधित बहिष्करण, कनेक्टिविटी की समस्याएँ तथा प्रवासी श्रमिकों, बुज़ुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ अभी भी पात्र लाभार्थियों को उनके खाद्यान्न अधिकारों तक पहुँचने से रोकती हैं।

आगे की राह

- वर्तमान जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए नवीनतम जनगणना के आँकड़ों के आधार पर **NFSA के लाभार्थी कवरेज को अद्यतन** किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संक्रमण की प्रक्रिया के कारण किसी भी वर्तमान लाभार्थी को **खाद्य असुरक्षा** का सामना न करना पड़े।
- पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए अनाज के साथ **दालों, खाद्य तेल और पोषक तत्वों से समृद्ध खाद्य पदार्थों** को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले राज्यों के साथ व्यापक परामर्श आवश्यक है, ताकि **सहमति का निर्माण** किया जा सके और **सहकारी संघवाद** को सुदृढ़ किया जा सके।

स्रोत: TH

राज्यसभा द्वारा केरल का नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक पारित

संदर्भ

- राज्यसभा ने **केरल का नाम परिवर्तित कर 'केरलम' करने संबंधी विधेयक** पारित कर दिया है।

परिचय

- **केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026** के माध्यम से राज्य का नाम बदलकर **'केरलम'** करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संविधान में, विशेष रूप से **प्रथम अनुसूची**, में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
- केरल विधानसभा ने वर्ष **2024** में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर **'केरलम'** करने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया था।

पृष्ठभूमि

- **नाम की उत्पत्ति:** केरल का उल्लेख करने वाला सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य सम्राट **अशोक के 257 ईसा पूर्व के शिलालेख II** में मिलता है।
- इस अभिलेख में स्थानीय शासक के लिए **'केरलपुत्र'** ("केरल का पुत्र") शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें **चेर वंश** के संदर्भ में "चेर का पुत्र" का भी उल्लेख मिलता है।
- वर्तमान में संविधान की **प्रथम अनुसूची** में भी राज्य का नाम **'केरल'** निर्धारित किया गया है।

आधुनिक राज्य का गठन

- मलयालम भाषी लोगों पर इस क्षेत्र में विभिन्न राजाओं और देशी रियासतों का शासन रहा था।
- 1920 के दशक में **ऐक्य (एकीकृत) केरल आंदोलन** ने गति पकड़ी और मलयालम भाषी लोगों के लिए एक पृथक राज्य की माँग उठने लगी।
- इस आंदोलन का उद्देश्य **मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर** को एक ही क्षेत्र में एकीकृत करना था।
- स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का विलय एवं एकीकरण केरल राज्य के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- **1 जुलाई 1949** को त्रावणकोर और कोचीन नामक दोनों राज्यों का एकीकरण किया गया।
- जब राज्यों के पुनर्गठन को **भाषाई आधार** पर करने का निर्णय लिया गया, तब केंद्र सरकार के **राज्य पुनर्गठन आयोग** ने केरल राज्य के गठन की सिफारिश की।
- **1 नवंबर 1956** को केरल राज्य अस्तित्व में आया। मलयालम भाषा में राज्य को **'केरलम'** कहा जाता था, जबकि अंग्रेज़ी में इसका नाम **'Kerala'** था।

भारत में किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने की प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 3** संसद को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:
    - किसी राज्य से उसके क्षेत्र को अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर या

किसी राज्य के किसी भाग के साथ किसी क्षेत्र को मिलाकर **नया राज्य गठित करना**;
- किसी राज्य के **क्षेत्रफल में वृद्धि करना**;
- किसी राज्य के **क्षेत्रफल में कमी करना**;
- किसी राज्य की **सीमाओं में परिवर्तन करना**; तथा
- किसी राज्य के **नाम में परिवर्तन करना**।

- हालाँकि, अनुच्छेद 3 इस संबंध में दो शर्तें निर्धारित करता है:
  - उपर्युक्त परिवर्तनों से संबंधित विधेयक संसद में केवल **राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा** से ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
  - विधेयक की अनुशंसा करने से पहले राष्ट्रपति को उसे संबंधित **राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार व्यक्त करने के लिए** एक निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करना होता है।
- राष्ट्रपति अथवा संसद राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से बाध्य नहीं होते। वे इन विचारों को **स्वीकार या अस्वीकार** कर सकते हैं।
- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 4** स्वयं यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन के लिए बनाए गए कानूनों को **अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन** नहीं माना जाता है।
  - ऐसे कानून **साधारण बहुमत** से तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किए जा सकते हैं।

स्रोत: TH

लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (संशोधन) विधेयक पारित

समाचार में

- हाल ही में संसद ने **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (संशोधन) विधेयक, 2026** पारित किया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- **सहकारी विकास की व्यापक अवधारणा:** NCDC अब केवल सहकारी समितियों तक सीमित न रहकर, प्रत्यक्ष रूप से या मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से सहकारी पहलों को व्यवस्थित, प्रोत्साहित एवं वित्तपोषित कर सकेगा।
- **प्रत्यक्ष ऋण एवं अनुदान:** NCDC सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन सहकारी समितियों तथा सहकारी विकास से संबंधित अन्य पात्र संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण एवं अनुदान प्रदान कर सकेगा।
- **सहकारी समितियों में निवेश:** केंद्र सरकार की सहमति से NCDC सहकारी समितियों तथा सहकारी विकास एजेंसियों की शेयर पूंजी में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेगा।
- **सहायता का व्यापक दायरा:** 'खाद्य पदार्थों' में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य सामग्री भी शामिल होंगी।
  - औद्योगिक उद्देश्यों के लिए स्थान संबंधी प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाएगा—अर्थात स्थान की परवाह किए बिना सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984** के संदर्भों को **2002 के अधिनियम** के संदर्भों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- **नई आनुषंगिक शक्तियाँ:** NCDC को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या उनसे संबंधित कोई भी कार्य करने की शक्ति प्रदान करने हेतु **धारा 9A** जोड़ी जाएगी।
- **ऋण संबंधी सूचना की शक्तियाँ:** प्रस्तावित **धारा 13A** के अंतर्गत NCDC को केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), बैंकों तथा पंजीकृत वित्तीय संस्थानों को ऋण संबंधी एवं अन्य सूचनाएँ एकत्र करने या उपलब्ध कराने का अधिकार दिया जाएगा।
- **राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तपोषण:** NCDC राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों को वित्तपोषित करना जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त, सहकारी विकास में संलग्न अन्य संगठनों को भी वित्तपोषित किया जा सकेगा, बशर्ते कि प्राप्त धनराशि का अंतिम लाभ सहकारी समितियों को प्राप्त हो।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

- यह **सहकारिता मंत्रालय** के अधीन एक वैधानिक संगठन है।
- इसकी स्थापना 1963 में **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962** के अंतर्गत की गई थी।
- NCDC की गतिविधियों का विस्तार करने तथा पात्र सहकारी समितियों के प्रत्यक्ष वित्तपोषण की अनुमति देने के लिए वर्ष **1962 के अधिनियम में कई बार संशोधन** किए गए हैं, जिनमें 1973, 1974 और 2002 के संशोधन प्रमुख हैं।
- NCDC की वर्तमान भूमिका में मुख्यतः सहकारी समितियों के माध्यम से **कृषि उपज, खाद्य पदार्थों तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण तथा आयात-निर्यात** से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका वित्तपोषण करना शामिल है।

स्रोत :IE

बढ़ती बकाया राशि की प्राप्ति बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ होती वित्तीय स्थिति को दर्शाती है

संदर्भ

- सरकार द्वारा साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) द्वारा राइट-ऑफ कुल खराब ऋण** की राशि प्रत्येक वर्ष घट रही है, जबकि इन ऋणों से **ऋण-प्राप्ति** में निरंतर वृद्धि हो रही है।

राइट-ऑफ ऋण(Write-off loan) की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

- **राइट-ऑफ ऋणों में कमी:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राइट-ऑफ खराब ऋण वर्ष 2021-22 में **₹1.15 लाख करोड़** से घटकर वर्ष 2025-26 में **₹70,528 करोड़** रह गए, जो लगभग 40% की कमी है।
    - वर्ष 2022-23 में राइट-ऑफ ऋण लगभग **₹1.30 लाख करोड़** के उच्चतम स्तर पर पहुँच गए थे। इसका एक कारण कोविड-19 के बाद उत्पन्न वित्तीय दबाव भी था।
- **ऋण-प्राप्ति में सुधार:** राइट-ऑफ ऋणों से प्राप्त राशि वर्ष 2021-22 में **₹24,739 करोड़** से बढ़कर वर्ष 2025-26 में **₹42,889 करोड़** हो गई।
    - परिणामस्वरूप, इसी अवधि में **ऋण-प्राप्ति और राइट-ऑफ ऋण का अनुपात** 21.4% से बढ़कर 60.8% हो गया।
- PSBs द्वारा राइट-ऑफ ऋणों में **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। इसके राइट-ऑफ ऋण वर्ष 2022-23 में **₹24,061 करोड़** से घटकर वर्ष 2025-26 में **₹17,803 करोड़** रह गए।

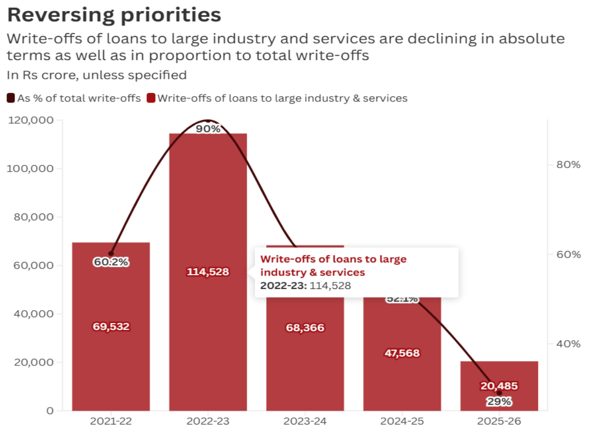

राइट-ऑफ ऋण

- **राइट-ऑफ ऋण (Loan Write-off)** एक लेखांकन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत बैंक आवश्यक प्रावधान करने के बाद किसी खराब ऋण को अपनी पुस्तकों से हटा देता है।
- यह केवल एक **लेखांकन प्रक्रिया** है और इससे ऋणी को कोई राहत नहीं मिलती। ऋण को बट्टे खाते में डालने के बाद भी बैंक ऋण-प्राप्ति की कार्रवाई जारी रख सकते हैं।

ऋण-प्राप्ति में सुधार के कारण

- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016:** IBC कंपनियों की दिवाला प्रक्रिया के समाधान तथा तनावग्रस्त ऋणग्रस्त उधारकर्ताओं से बकाया राशि की प्राप्ति के लिए समयबद्ध व्यवस्था प्रदान करती है।
    - इसने बैंकों को **ऋणदाताओं की समिति (CoC)** के माध्यम से समाधान प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की है।
- **ऋण वसूली अधिकरण (DRTs):** DRTs बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की प्राप्ति के लिए एक विशेष न्यायिक व्यवस्था प्रदान करते हैं।
    - इन अधिकरणों को **ऋणों की वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993** के अंतर्गत कानूनी आधार प्रदान किया गया है।
- **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की बेहतर पहचान एवं समाधान:** वर्ष 2015 में RBI द्वारा किए गए **परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR)** के बाद बैंकों ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों तथा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की व्यवस्थित पहचान और समाधान की दिशा में बेहतर क्षमता विकसित की है।
- **बैंकिंग प्रावधान:** बैंकों को तनावग्रस्त ऋणों से उत्पन्न संभावित नुकसान के लिए आवश्यक प्रावधान करना पड़ता है।
    - बैंकों ने अपेक्षित हानि के एक बड़े हिस्से के लिए पहले ही पर्याप्त प्रावधान कर लिया है। इसलिए ऋण का समाधान या उसे बट्टे खाते में डालना बैंकों की **बैलेंस शीट** पर अपेक्षाकृत कम प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

चिंताएँ

- **ऋण-प्राप्ति अभी भी पूर्ण नहीं है:** 60.8% का ऋण-प्राप्ति एवं राइट-ऑफ ऋण का अनुपात यह नहीं दर्शाता कि अब तक राइट-ऑफ सभी ऋणों में से 60.8% की राशि प्राप्त कर ली गई है।
- व्यक्तियों, **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** तथा किसानों के मामलों में राइट-ऑफ ऋणों की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए वास्तविक वित्तीय कठिनाई और **जानबूझकर ऋण न चुकाने (Wilful Default)** के बीच अंतर करने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी आवश्यक है।
- यदि बड़े पैमाने पर ऋण राइट-ऑफ को बड़े ऋण-चूककर्ताओं के लिए लाभकारी माना जाता है, तो इससे बैंकिंग संस्थानों के प्रति **जनविश्वास कमजोर** हो सकता है।
- न्यायिक एवं दिवाला संबंधी प्रक्रियाओं में देरी होने से वसूली योग्य परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो जाता है।

- यदि उभरते वित्तीय दबाव की उचित निगरानी नहीं की जाती है, तो ऋणों के बार-बार पुनर्गठन अथवा **एवरग्रीनिंग** के माध्यम से वास्तविक स्थिति छिपी रह सकती है।

आगे की राह

- **ऋण-प्राप्ति संस्थानों का सुदृढ़ीकरण:** IBC, DRTs तथा अन्य ऋण-प्राप्ति तंत्रों की क्षमता एवं दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **ऋण मूल्यांकन में सुधार:** तनावग्रस्त ऋणग्राहियों की समय रहते पहचान करने के लिए बेहतर **डेटा विश्लेषण** तथा **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों** का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **ऋण-प्राप्ति और पुनर्वास के बीच संतुलन:** व्यवहार्य MSMEs तथा अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छोटे ऋणग्राहियों के लिए तत्काल परिसमापन के बजाय उपयुक्त **ऋण पुनर्गठन** की व्यवस्था की जानी चाहिए।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

कज़ाखस्तान ने क्लाउड सीडिंग का विकल्प अपनाया

संदर्भ

- देश में गंभीर सूखे और जल की कमी की समस्या से निपटने के लिए कज़ाखस्तान ने क्लाउड सीडिंग (मेघ बीजारोपण) का सहारा लिया है। यह मौसम में परिवर्तन करने की ऐसी विधि है, जिसका मध्य एशिया में पहले प्रयोग नहीं किया गया था।

क्लाउड सीडिंग क्या है?

- क्लाउड सीडिंग (मेघ बीजारोपण) मौसम में परिवर्तन की एक विधि है, जिसका उद्देश्य बादल की वर्षा या हिमपात उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ाना है।
- **इतिहास:** इसका प्रथम सफल प्रदर्शन वर्ष 1946 में अमेरिकी रसायनज्ञ एवं मौसम विज्ञानी विन्सेंट जे. शेफर ने किया था।
- **बीजारोपण एजेंट:** संघनन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बादलों में सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड, पोटैशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे लवणों का छिड़काव किया जाता है।
- **सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ (ठोस CO_2):** इनका उपयोग अत्यधिक ठंडे बादलों में किया जाता है, जहाँ तापमान हिमांक से नीचे होता है।
- **कैल्शियम क्लोराइड:** इसका उपयोग अपेक्षाकृत गर्म बादलों में किया जाता है, जहाँ तापमान हिमांक से ऊपर होता है।
- **कार्यप्रणाली:** लवण अथवा बीजारोपण एजेंट ऐसे संघनन केंद्र (नाभिक) के रूप में कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जल की बूंदें बन सकती हैं या बर्फ के क्रिस्टल विकसित हो सकते हैं।
  - जैसे-जैसे जल की बूंदें बड़ी होती जाती हैं, वे बादल में उपस्थित अन्य बूंदों से टकराती हैं। जब उनका भार पर्याप्त बढ़ जाता है, तो बादल संतृप्त हो जाता है और वर्षा होने लगती है।
  - मौसम विज्ञानी ऐसे बादलों की पहचान करते हैं जिनमें पर्याप्त आर्द्रता होती है, लेकिन वे स्वयं पर्याप्त वर्षण उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते।
- **प्रयोग की विधियाँ:** इन कणों को विशेष विमानों, रॉकेटों या भूमि पर स्थापित प्रसार उपकरणों के माध्यम से बादलों में पहुँचाया जाता है।

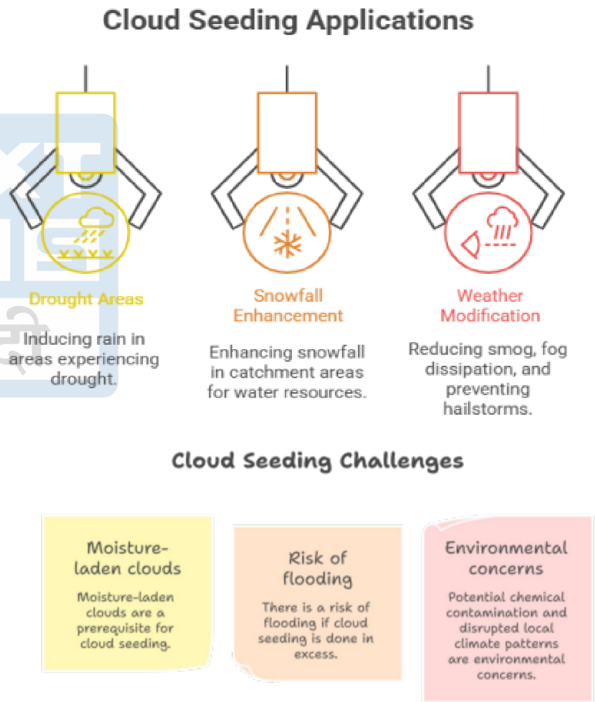

स्रोत: TH

BNSS के अंतर्गत पुलिस हिरासत के दायरे पर सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्टता

संदर्भ

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187(2) जाँच एजेंसी द्वारा पुलिस हिरासत की माँग किए जाने की अवधि को विस्तारित करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- **विस्तारित दायरा:** अब पुलिस हिरासत को हिरासत की शुरुआती 40/60 दिनों की अवधि के दौरान अलग-अलग चरणों में लिया जा सकता है, हालांकि इसकी कुल अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती।
- पहले पुलिस हिरासत केवल रिमांड के शुरुआती 15 दिनों तक सीमित थी।
- **अधिवक्ता से मिलने का अधिकार:** BNSS की धारा 38 के अंतर्गत अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक पूछताछ सत्र की पूरी अवधि के दौरान अधिवक्ता की निरंतर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- **मजिस्ट्रेट की भूमिका:** मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपने पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हिरासत पर कोई ऐसी पूर्ण और गैर-विस्तार योग्य अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं कर सकता, जिसे आगे बढ़ाया ही न जा सके।
    - न्यायालय ने 7 दिनों की अतिरिक्त पुलिस हिरासत की अनुमति दी, ताकि निचली न्यायालयों द्वारा दी गई हिरासत सहित पुलिस रिमांड की कुल अवधि 15 दिनों से अधिक न हो।
    - इस विधायी परिवर्तन का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों से निपटना था, जहाँ जाँच के दौरान नए तथ्य, साक्ष्य या महत्वपूर्ण सुराग सामने आ सकते हैं।
    - इसलिए पुलिस रिमांड की अवधि को शुरुआती 15 दिनों से आगे बढ़ाकर जाँच के 40वें या 60वें दिन तक उपलब्ध कराया गया है।

पुलिस रिमांड से संबंधित वर्तमान कानून

- BNSS की धारा 58 के अनुसार, पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि धारा 187 के अंतगर्त मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी अनुमति न दी गई हो।
- पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन है। इसे निम्नलिखित अवधि के दौरान अलग-अलग चरणों में दिया जा सकता है:
    - 60 दिन, यदि अपराध के लिए कम-से-कम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान हो;
    - 40 दिन, किसी अन्य अपराध के मामले में।
- धारा 187(3) के अनुसार, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि पर्याप्त आधार उपस्थित हैं, तो वह 15 दिनों की अवधि के बाद भी अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखने की अनुमति दे सकता है। इसकी अधिकतम अवधि निम्नलिखित होगी:
    - 90 दिन, यदि जाँच ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके लिए मृत्यु-दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का प्रावधान है;
    - 60 दिन, किसी अन्य अपराध के मामले में।
- इस प्रकार, यदि निर्धारित अवधि के अंदर जाँच पूरी नहीं होती है, तो अभियुक्त को रिहा किया जा सकता है। इसे सामान्यतः डिफॉल्ट जमानत कहा जाता है।

स्रोत: TH

ग्लूबॉल

संदर्भ

बीजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (BESIII) प्रयोग से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो संकेत देते हैं कि X(2370) एक ग्लूबॉल हो सकता है। ग्लूबॉल ऐसा कण है, जिसकी संरचना में मुख्यतः ग्लूऑन होते हैं। ग्लूऑन प्रबल नाभिकीय बल के वाहक कण हैं।

ग्लूबॉल क्या है?

- ग्लूबॉल एक परिकल्पित संयुक्त कण है, जो मुख्यतः ग्लूऑनों से बना होता है।
- ग्लूऑन प्रबल नाभिकीय बल के बल-वाहक कण हैं। यही बल क्वार्कों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर एक साथ बाँधकर रखता है।
- ग्लूबॉल की भविष्यवाणी क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स (QCD) द्वारा की जाती है। QCD वह सिद्धांत है जो प्रबल अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करता है।

कणों के प्रकार

- मूलभूत कण: ये सबसे बुनियादी कण होते हैं और इनसे छोटे किसी अन्य कण से बने नहीं होते। उदाहरण के लिए, क्वार्क, लेप्टॉन और गेज बोसॉन।
- संयुक्त कण: ये मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके सबसे प्रमुख उदाहरण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जो क्वार्कों से बने होते हैं।

स्रोत: TH

काली गर्दन वाली सारस (BNC)

संदर्भ

- **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS)** ने लद्दाख में **काली गर्दन वाली सारस (BNC)** तथा अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए **2,950 से अधिक खुले में विचरण करने वाले कुत्तों (FRD)** की नसबंदी की है।

काली गर्दन वाली सारस (ग्रस निग्रिकोलिस)

- विश्वभर में पाई जाने वाली सारस की 15 प्रजातियों में **काली गर्दन वाली सारस** को एकमात्र उच्च-ऊँचाई/अल्पाइन सारस प्रजाति माना जाता है।
- **आवास एवं वितरण:** भारत में यह मुख्यतः **लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश** में पाई जाती है, विशेषकर अधिक ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्रों और दलदली क्षेत्रों में।
    - इसका वैश्विक वितरण क्षेत्र **तिब्बती पठार तथा इससे जुड़े हिमालयी क्षेत्रों** तक फैला हुआ है, जिसमें चीन, भारत, भूटान और नेपाल शामिल हैं।
- **जनसंख्या:** भारत में काली गर्दन वाली सारस की संख्या **100 से कम** होने का अनुमान है, जबकि विश्वभर में इसकी कुल संख्या लगभग **15,000** है।
- **प्रमुख खतरे:** खुले में विचरण करने वाले कुत्तों द्वारा शिकार, कृषि पद्धतियों में परिवर्तन तथा उच्च-ऊँचाई वाली आर्द्रभूमियों के आसपास तीव्रता से हो रहा और अनियंत्रित विकास इसके प्रमुख खतरों में शामिल हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** इस प्रजाति को **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I** के अंतर्गत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इसे CITES तथा **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी अभिसमय (CMS)** के अंतर्गत भी संरक्षण प्राप्त है।
    - **IUCN की रेड लिस्ट** के अंतर्गत इसे **संकटासन्न** श्रेणी में रखा गया है।
- **राजकीय पक्षी:** यह **लद्दाख का राजकीय पक्षी** है तथा लद्दाख की बौद्ध संस्कृति में इसका विशेष महत्व है।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS)

- BNHS भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने **गैर-सरकारी संगठनों** में से एक है, जो प्रकृति संरक्षण एवं जैव विविधता अनुसंधान के लिए समर्पित है।
- इसकी स्थापना **15 सितंबर 1883** को मुंबई में हुई थी। इसका उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षा और जन-जागरूकता पर आधारित कार्यों के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण करना है।

स्रोत: DTE

हरित हाइड्रोजन

समाचार में

- जर्मनी **हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा** के क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी द्वारा भारत से हरित हाइड्रोजन आयात करने की संभावना भी है।

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, लेकिन यह **मुक्त अवस्था में उपलब्ध नहीं होता** और इसे जल जैसे यौगिकों से अलग करना पड़ता है।
- यह एक स्वच्छ ईंधन है, लेकिन इसके उत्पादन की प्रक्रिया **ऊर्जा-गहन** होती है।
- हाइड्रोजन को इसके स्रोत और उत्पादन की विधि के आधार पर विभिन्न **'रंगों'** में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रकार

- **ग्रे हाइड्रोजन:** जीवाश्म ईंधनों से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है।
    - वर्तमान में औद्योगिक उपभोग और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उत्पादित अधिकांश हाइड्रोजन **ग्रे हाइड्रोजन** है।
- **ब्लू हाइड्रोजन:** जीवाश्म ईंधनों से उत्पादित ऐसा हाइड्रोजन, जिसमें **कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज (CCS)** की व्यवस्था होती है, ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है।
- **हरित हाइड्रोजन:** नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रोलाइज़र के माध्यम से जल के **विद्युत अपघटन** द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है।
    - इसे हाइड्रोजन उत्पादन की लगभग **उत्सर्जन-मुक्त प्रक्रिया** माना जाता है।

हरित हाइड्रोजन एवं इसके लाभ

- यह सौर, पवन या जलविद्युत जैसी **सतत ऊर्जा स्रोतों** का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन से उत्पादित हाइड्रोजन है।
- यह एक स्वच्छ दहनशील अणु है, जिसका उपयोग परिवहन, रसायन तथा लौह एवं इस्पात जैसे विभिन्न उद्योगों के **कार्बन उत्सर्जन को कम करने** के लिए किया जा सकता है।
- इसके उत्पादन से **ग्रीनहाउस गैसों का बहुत कम उत्सर्जन** हो सकता है।
- ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने पर इससे **CO_2 का उत्सर्जन नहीं होता**, इसलिए इसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है।

उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM)** को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष **2023** में स्वीकृति दी थी। यह मिशन वर्ष 2047 तक भारत की **ऊर्जा आत्मनिर्भरता** तथा वर्ष 2070 तक **नेट-जीरो** के लक्ष्य को प्राप्त करने में हरित हाइड्रोजन की भूमिका को मान्यता देता है।
- यह मिशन **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** द्वारा समर्थित है।

NEXT IAS हिन्दी

- मिशन हरित हाइड्रोजन को भारत के लिए एक **उभरते हुए क्षेत्र** के रूप में देखता है। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न उत्पादों के **उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र** बनाना है।
- NGHM के अंतर्गत वर्ष **2030** तक हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य **50 लाख टन प्रति वर्ष** रखा गया है। इससे जीवाश्म ईंधनों के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।
- मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति से वर्ष 2030 तक भारत के जीवाश्म ईंधन आयात में संचयी रूप से लगभग **₹1 लाख करोड़** की कमी आने की अपेक्षा है।

स्रोत:TH

■■■■

NEXT IAS हिन्दी